न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/151/2018	08–08–2018	19–02–2020

01– रामस्वरूप पुत्र श्री गरीबा जाति जोगी निवासी ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर जिला अलवर राज0। —अपीलाण्ट

बनाम

01–तहसीलदार कठूमर, जिला अलवर राज। —रेस्पौ0

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार कठूमर
दिनांक 24.07.2018 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 01/2018

उपस्थितः—

01–श्री मूलचन्द चौधरी —वकील अपीलाण्ट

—:निर्णयः—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार कठूमर के आदेश दिनांक 24.07.2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम सौंखरी की सरकारी गै0मु0चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 2675/10.30 है0 में से 1.51 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर पेश की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम सौंखरी की सरकारी गै0मु0चारागाह भूमि के आराजी खसरा नम्बर 2675/10.30 है0 में से 1.51 है0 पर कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 21.05.2018 को पटवारी द्वारा अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह की सजा व लगान से दण्डित किया। अपीलांट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलांट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की सजा व पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दि0 24.07.2018 अपास्त फरमाया जावें।

हमनें अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलांट द्वारा दिनांक 08.08.2018 को विवादित आराजी पर कब्जा नहीं होना बताया है, जबकि तहसीलदार कठूमर द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 24.08.2018 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलांट का अतिक्रमण होना बताया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहसीलदार रामगढ़ का निर्णय दिनांक 24.07.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार पालनार्थं भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 19–02–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)